

2021/1564

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन विभाग के पास
अभिलेखन-2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेजाराजपुरा की
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 177
में गोहन/दीरा के नाम मोहन/दीरा जबकि वही नाम मोहन/दीरा
विराजाल है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी मोहन

दि- 25/11/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

यजी,

निवेदन है कि ग्राम खेजाराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के
संख्या 177 में प्रार्थी का नाम गोहन/दीरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
दीरा व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मोहन/दीरा है। जो संशोधित किया
उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

दिनांक 10/12/21

पटवारी दीरा
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पटवारी दीरा व भू0अ0नि0 दीरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
खेजाराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 177 में प्रार्थी का
गोहन/दीरा के बजाय मोहन/दीरा किये जाने हेतु अभिलेखन की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक 1485/21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा, ग्राम खेजाराजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 खाता

177 में दर्ज प्रार्थी का नाम गोहन/दीरा के स्थान पर मोहन/दीरा संशोधन के
दिये जाते हैं।



प्रभारी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)